

15-12-2020

वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी बकाया राशि जमा कराने हेतु तैयार है । वकील प्रार्थी बकाया राशि एक क्वार्टर (तीन माह) में जमा कराने को तैयार है । वकील प्रार्थी इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करे की वह तीन माह में बकाया राशि जमा करा देंगे । इस बाबत वकील प्रार्थी द्वारा कल दिनांक 16.12.2020 को शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, जो दिया गया । पत्रावली दिनांक 16.12.2020 को पेश हो ।

16/12/2020 वकील उभय पक्ष उपर । राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी वाकीदार द्वारा तीन माह का समय मांगे पर आदेश दिनांक 15/12/2020 की पत्रावली में प्रार्थी वाकीदार द्वारा शेष राशि तीन माह 31-3-2021 तक जमा कराने हेतु शपथ पत्र पेश किया जो न्यायाधीश (शपथ) द्वारा (शपथ) प्रार्थी वाकीदार बकाया राशि 31-3-2021 तक जमा कराने हेतु तैयार होने से इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 5-11-2019 क्र सं 117/2019 इतवार ए. डी. इमॉन्ड अपग्रेस बेंक लि 4/5 m/s URS bheng में जारी आदेश की शिथिलता 31/3/2021 (31 मार्च-21) तक प्रशिक्षण की जाती है । 31 मार्च-2021 तक शेष राशि जमा नहीं होने की स्थिति में पूर्ण आदेश दिनांक 5-11-2019 प्रभावी रहेगा ।

upendra dom

आदेश की पूर्ण शिथिलता (शपथ) चोरा एवं वित्तीय सहायता को भेजी जावे) पत्रावली के साथ शुभारंभ शेकर नम्बर सेक्स की जावे) बाद न्यायाधीश न्यायालय शिथिल इच्छा की जावे) २

जिना कलकत्ता
कोटा